कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

मांग संख्या 88

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	2171.20	26.82	2198.02	3141.00	259.00	3400.00	2750.54	69.52	2820.06	2926.11	63.10	2989.21
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**2171.20**	**26.82**	**2198.02**	**3141.00**	**259.00**	**3400.00**	**2750.54**	**69.52**	**2820.06**	**2926.11**	**63.10**	**2989.21**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय आर्थिक सेवाएं	41.24	6.83	48.07	70.00	56.66	126.66	51.72	3.00	54.72	54.46	3.00	57.46
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
कार्य एवं कौशल विकास												
2. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना												
2.01 राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	15.00	...	15.00	...	...	...
2.02 राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन बोर्ड	...	...	...	24.75	...	24.75	1.00	...	1.00	...	...	...
2.03 कौशल विकास	1736.19	...	1736.19	2154.34	...	2154.34	2250.34	...	2250.34	2400.00	...	2400.00
2.04 उद्यमिता विकास	4.92	...	4.92	87.86	...	87.86	20.50	...	20.50	37.25	...	37.25
2.05 आदर्श आईटीआई/बहुकौशल प्रशिक्षण संस्थान	...	...	...	50.00	...	50.00	...	...	...	...	...	...
2.06 शिक्षुता और प्रशिक्षण	323.80	19.99	343.79	544.05	202.34	746.39	367.51	66.52	434.03	...	...	...
2.07 पॉलिटेक्निक की योजना	45.05	...	45.05	190.00	...	190.00	44.47	...	44.47	...	...	...
2.08 प्रशिक्षुता को प्रोत्साहन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	61.25	...	61.25
2.09 संस्थागत प्रशिक्षण की अवसंरचना को सुदृढ़ करना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	340.15	40.10	380.25
2.10 कौशल संस्थानों का सुदृढ़ीकरण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	13.00	20.00	33.00
2.11 विनियामक संस्थानों को सहायता	...	...	...	...	...	...	...	...	...	20.00	...	20.00
जोड़- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	*2129.96*	*19.99*	*2149.95*	*3071.00*	*202.34*	*3273.34*	*2698.82*	*66.52*	*2765.34*	*2871.65*	*60.10*	*2931.75*
कुल जोड़	***2171.20***	***26.82***	***2198.02***	***3141.00***	***259.00***	***3400.00***	***2750.54***	***69.52***	***2820.06***	***2926.11***	***63.10***	***2989.21***

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	6.83	6.83	...	56.66	56.66	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	**...**	**6.83**	**6.83**	**...**	**56.66**	**56.66**	**...**	**3.00**	**3.00**	**...**	**3.00**	**3.00**
सामाजिक सेवाएं												
2. श्रम, रोजगार और कौशल विकास	1476.07	...	1476.07	1933.75	...	1933.75	2203.15	...	2203.15	1935.32	...	1935.32
3. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	41.24	...	41.24	70.00	...	70.00	51.72	...	51.72	54.46	...	54.46
4. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	19.99	19.99	...	189.84	189.84	...	66.52	66.52	...	60.00	60.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**1517.31**	**19.99**	**1537.30**	**2003.75**	**189.84**	**2193.59**	**2254.87**	**66.52**	**2321.39**	**1989.78**	**60.00**	**2049.78**
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	314.41	...	314.41	244.08	...	244.08	291.12	...	291.12
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	649.19	...	649.19	760.29	...	760.29	241.55	...	241.55	629.51	...	629.51
7. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	4.70	...	4.70	62.55	...	62.55	10.04	...	10.04	15.70	...	15.70
8. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	12.50	12.50	...	...	...	...	0.10	0.10
जोड़-अन्य	**653.89**	**...**	**653.89**	**1137.25**	**12.50**	**1149.75**	**495.67**	**...**	**495.67**	**936.33**	**0.10**	**936.43**
कुल जोड़	**2171.20**	**26.82**	**2198.02**	**3141.00**	**259.00**	**3400.00**	**2750.54**	**69.52**	**2820.06**	**2926.11**	**63.10**	**2989.21**

1. **सचिवालय आर्थिक सेवाएं:** यह मंत्रालय के सचिवालय, प्रशिक्षण महानिदेशालय तथा जन शिक्षण संस्थान के लिए व्यय उपलब्ध कराता है। मंत्रालय के लिए नए भवन के निर्माण का प्रावधान भी किया गया है।

2.01. **राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी:** राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी कौशल संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा सामाजिक, क्षेत्रीय, लैंगिक एवं आर्थिक अंतराल को समाप्त करने के लिए किए जाने वाले प्रयास में सरकारी एवं निजी क्षेत्र द्वारा किए जा रहे कौशल विकास प्रयासों के बीच समन्वय तथा तालमेल स्थापित करेगी।

2.02. **राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन बोर्ड:** राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन बोर्ड : राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन बोर्ड देश में कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क के अनुरूप परीक्षाएं आयोजित करने, मूल्यांकन करने तथा राष्ट्रीय स्तर के प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए एक स्वायत्तशासी वृत्तिक बोर्ड के रूप में कार्य करेगा।

2.03. **कौशल विकास:** कौशल का विकास : (i) देश के विभिन्न क्षेत्रों में 2016-2020 के दौरान एक करोड़ व्यक्तियों (75 लाख नए प्रशिक्षुओं तथा 25 लाख पूर्व शिक्षण में ज्ञात) को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई); (ii) आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अभिग्रहण एवं ज्ञान जागरूकता (संकल्प) -यह विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के अधिदेशों को कार्यान्वित करना है; (iii) एनएसडीसी , एक पीपीपी कंपनी है जो तकनीकी एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर क्षमता सृजन द्वारा निजी क्षेत्र में कौशल विकास को संवर्धन प्रदान करती है; (iv) उच्च गुणवत्ता के परिणामों को सुनिश्चित करते हुए मानक एवं गति के अनुरूप कौशल फ्रेमवर्क विकसित करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास नीति को लागू करना; (v) अखिल भारतीय स्तर पर कौशल निर्माण संबंधी कार्यक्रमों को विस्तार प्रदान करने, समन्वय स्थापित करने, क्रियान्वित तथा अनुरक्षण करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन को लागू करना; और(vi) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा चलाए जाने वाले सभी कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए सामान्य मानदंडों को लागू करना।

2.04. **उद्यमिता विकास:** उद्यमिता शिक्षा तथा प्रशिक्षण , पक्ष समर्थन, परामर्शदात्री नेटवर्क, ऋण, इनक्यूबेटर तथा एक्सीलरेटर, सूचना प्लेटफार्म तथा अनुसंधान सहित उद्यमिता पारिस्थितिकी के विभिन्न संघटकों तक आसान पहुंच के माध्यम से उद्यमिता विकास के लिए एक अनुकूल परिस्थिति सृजित करना।

2.05. **आदर्श आईटीआई/बहुकौशल प्रशिक्षण संस्थान:** प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत असेवित ब्लॉकों तथा क्षेत्रों में युवाओं को तकनीकी कौशल प्रदान करने पर बल देते हुए उद्योग जगत की सक्रिय भागीदारी से 1500 बहु-कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी।

2.06. **शिक्षुता और प्रशिक्षण:** देशभर में व्यावसायिक/शिक्षुपता प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित, संचालित करना तथा प्रदान करना, प्रशिक्षण अवसंरचनाओं को अपग्रेड करना, नए प्रशिक्षण संस्थानों को खोलना, राज्य सरकारों कों कौशल विकास एवं शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान करना तथा लाभकारी रोजगार के लिए उद्योगों को प्रशिक्षण के साथ संयोजित करना।

2.07. **पॉलिटेक्निक की योजना:** यह केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है, इसका लक्ष्य राज्य की उच्चतर और तकनीकी संस्थाओं को कार्यनीतिक निधियन प्रदान करना है। राज्य व्यापक राज्य उच्चतर शिक्षा आयोजना तैयार करेंगे जो विस्तार, समता और उत्कृष्टता की समस्याओं का एक साथ निवारण करने के लिए परस्पर संबंधित कार्यनीति का उपयोग करेंगे। केन्द्रीय निधियन राज्य उच्चतर शिक्षा के अकादमी, प्रशासनिक और वित्तीय सुधार से संबंधित होगा। इसमें पोलिटेकनिक को सहायता के लिए प्रावधान भी शामिल होगा।

2.08. **प्रशिक्षुता को प्रोत्साहन:** इस स्कीम का उद्देश्य उद्योगों में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करते हुए शिक्षुओं के लिए कार्य के दौरान प्रशिक्षण प्रदान करना और विनिर्माण, सेवा तथा व्यापार क्षेत्रों आदि में 40 या उसके अधिक कार्यबल वाले ''विनिर्दिष्ट ट्रेडो'' तथा ''ऐच्छिक ट्रेडों'' में नियोजकों के लिए शिक्षु रखने की अनिवार्यता संबंधी शिक्षुता अधिनियम, 1961 का कार्यान्वयन करना है। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम का मुख्य उद्देश्य शिक्षुता प्रशिक्षण का संवर्धन करना तथा शिक्षुओं की संख्या अगस्त 2016 में 2.3 लाख से बढ़ाकर 2020 तक संचयी रूप से 50 लाख करना है।

2.09. **संस्थागत प्रशिक्षण की अवसंरचना को सुदृढ़ करना:** इस स्कीम का उद्देश्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) तथा पॉलिटेक्निकों के जरिए उपलब्ध कराए जाने वाले कौशल विकास/व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्य-निष्पादन, प्रासंगिकता और दक्षता में सुधार करना और इन संस्थानों की सहायता के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों की क्षमता बढ़ाना है। इसके साथ-साथ देश के युवाओं के रोजगार संवर्धन के अंतिम लक्ष्य की पूर्ति हेतु युवाओं को तकनीकी रुप से संपन्न और उद्योग हेतु पूर्णत: तैयार बनाने के लिए उभरते क्षेत्रों/ व्यावसायिक क्षेत्रों हेतु नवीनतम प्रौद्योगिकी प्रगति के अनुरूप सरकारी अवसंरचनात्मक सुविधाओं का उन्नयन और अद्यतन करना।

2.10. **कौशल संस्थानों का सुदृढ़ीकरण:** इस स्कीम का उद्देश्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (आईटीई) सिंगापुर की तर्ज पर सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) में मुंबई, अहमदाबाद और कानपुर में 3 भारतीय कौशल संस्थानों (उत्कृष्टता केंद्रों) की स्थापना करना है। यह उन्नत पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा। राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान (एनआईएमआई) शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) तथा मॉड्यूलर नियोजनीय कौशल (एमईएस) की कौशल विकास पहल स्कीम तहत पाठ्यक्रमों के लिए अनुदेशात्मक मीडियापैकेजों के विकास की एक कार्यान्वयन एजेंसी है। केंद्रीय स्टॉफ प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान (सीएसटीएआरआई) व्यावसायिक प्रशिक्षण में गुणात्मक तथा परिमाणात्मक सुधार के लिए अनुसंधान करता है और स्टॉफ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाता है।

2.11. **विनियामक संस्थानों को सहायता:** मंत्रिमंडल ने 10.10.2018 को दो मौजूदा निकायों अर्थात राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) तथा राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन बोर्ड का विलय करके राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना को मंजूरी दी थी। यह व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में संलग्न निकायों के कार्यों का विनियमन करेगी तथा इन निकायों के कार्यों के न्यूनतम मानक निर्धारित करेगी। एनसीवीईटी का मुख्य कार्य अवार्डिंग निकायों, आकलनकर्ता निकायों तथा सूचना प्रदाताओं को मान्यता देना और इनका विनियमन करना, सेक्टर कौशल परिषदों और अवार्डिंग निकायों द्वारा विकसित अर्हताओं का अनुमोदन तथा अवार्डिंग निकायों और आकलनकर्ता एजेंसियों के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों का अप्रत्यक्ष विनियमन है।